कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/13979/विविध आ0–**32**–सीट वृद्धि–2015/2018 दिनांक : 07 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, की परिनियमावली के परिनियम 12क.26 में प्राविधानित "**किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।**" के अधीन मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विगत वर्षो की भॉति सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित एवं सम्बद्धता प्राप्त नियमित विषयों/पाठ्यक्रमों में स्वीकृत/अनुमन्य (स्ववित्तपोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम/विषयों को छोड़कर) सीटों पर सहर्ष सीट वृद्धि अनुमन्य की जाती है।

उपर्युक्त के अंतर्गत महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय में 60 से 80 सीट तथा स्नातकोत्तर प्रायोगिक विषय में किसी भी दशा में 40 सीट से अधिक नहीं होगी।

कुलसचिव

पत्रांक :कु0स0–2 B स0अ0/13979/विविध आ0–**32**–सीट वृद्धि–2015/2018 तद् दिनांक
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति–मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव परीक्षा गोपनीय/परीक्षा सामान्य।
3. प्राचार्य/प्रबंधक उपर्युक्त सम्बंधित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

कुलसचिव